न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/टी.ए./4233/2004/हनुमानगढ़

1– बेगराज पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी खरसन्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1– ख्यालीराम पुत्र मनफूल
2– श्योनारायण पुत्र मनफूल
3– ओमप्रकाश पुत्र मनफूल
समस्त जाति जाटान्, निवासीगण खरसन्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
4– देवीलाल पुत्र उदाराम जाति ब्राह्मण
5– जयसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट
6– सुखमन्द्रसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति जटसिख
7– हरदेवसिंह पुत्र विशनसिंह जाति जटसिख
8– मु0 चन्दो बेवा हरसुख जाति खाती
9– धर्मपाल पुत्र हरसुख जाति खाती
निवासीगण मेघाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
10– मु0 सावत्री पुत्री हरसुख जोजा इन्दू जाति खाती
निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
11– विमला पुत्री हरसुख जोजा प्रतापखा मोडिया तहसील व जिला सिरसा
12– शांति पुत्री हरसुख जोजा भगमल
13– कमला पुत्री हरसुख जोजा बनवारी
निवासीगण कनाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य
डॉ0 शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पोर्डेट

–निर्णय–

दिनांकः 24–07–2025

1– हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपील संख्या 85/2001 बउनवानी बेगाराम बनाम ख्यालीराम आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–05–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी हरसुख पुत्र मंगतूराम ने एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, नोहर (मुख्यालय) भादरा के समक्ष अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मेघाना में स्थित आराजी खसरा नंबर 193 रकबा 39 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिसके हाल खसरा नंबर 322, 323 व 324 है, वादी के पिता मंगतूराम की खातेदारी की आराजी थी जो बाहमी बंटवारा द्वारा वादी हरसुख के नाम दर्ज हो गयी। उक्त भूमि में से हाल खसरा नंबर 322 रकबा 3 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ने तथा खसरा नंबर 323 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 ने जालसाझ द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। अतः उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार बाबत वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नोहर मु0 भादरा के समक्ष वाद पेश किया गया, जिसे विचारण न्यायालय ने 6 तनकीयात कायम करते हुए आदेश दिनांक 24–04–1991 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्रों के साथ अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16–05–2003 द्वारा अपील अंदर मियाद मानते हुए अपील खारिज कर दी। अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे भी अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16–05–2003 द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में उद्धरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि मौजा मेघाना स्थित आराजी खसरा नंबर 323 की 34.10 बीघा भूमि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20–07–1978 द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा दावा दायरी से पूर्व उक्त भूमि अपीलांट के नाम दर्ज थी। विवादित भूमि से अपीलार्थी हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है। उक्त तथ्य अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से प्रस्तुत किए गए थे तथा अपने कथन के समर्थन में बैयनामा दिनांक 20–07–1978 की प्रति भी प्रस्तुत की गयी थी जिससे यह जाहिर था कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी द्वारा क्रय जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की गयी है तथा आराजी जैर से वह हितबद्ध पक्षकार रहा है। रेस्पो0 संख्या–8 के पति एवं रेस्पो0 संख्या– 9 ता 13 के पिता हरसुख द्वारा उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए अराजी जैर के बाबत् खातेदारी अधिकार प्राप्त किए गए है। उक्त निर्णय एवं डिक्री से

व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि के बाबत् उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जाकर यह निर्णय में अभिलिखित किया है कि अपीलार्थी विवादित भूमि पर अपना हित साबित करने में असफल रहे हैं। अपील वादपत्र व अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन करते तो दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष यह तथ्य स्वमेव प्रकट हो जाता कि अपीलाथी आराजी जैर का सद्भावी क्रेता है तथा वादग्रस्त भूमि से प्रारम्भ से ही हितबद्ध रहा है। वादी द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए वादपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा आगे यह भी तर्क किया गया कि आराजी जैर के बाबत् उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 7 के मध्य खाता तकसीम का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे दिनांक 11-10-2000 को डिक्री किया गया। उपरोक्त निर्णय व डिक्री से भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि से हितबद्ध रहा है परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आराजी जैर के वर्तमान मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति के विपरीत जाकर एवं साक्ष्य का सही विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलार्थी को वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के साथ सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16-05-2003 के विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे भी अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 16-05-2003 द्वारा खारिज कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा कायम तनकीयात् पर बिना अपना निश्कर्ष अंकित किये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील खारिज की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय एवं अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जावे।

5- उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि मौजा मेघाना में स्थित खसरा नंबर 193 की 39.6 बीघा भूमि मंगतु पुत्र चेतन के नाम दर्ज थी व खसरा नंबर 193 के हाल खसरा नंबर 322, 323 व 324 हैं। अपीलार्थी ने सुखमंद सिंह से सन् 1978 में भूमि खरीदना कथन किया है जबकि सुखमंद सिंह के धारण में खसरा नंबर 214 की 30.14 बीघा भूमि थी जिसका हाल खसरा नंबर 323 है। खसरा नंबर 193 की भूमि कभी भी सुखमंद सिंह आदि के कब्जे में नहीं रही जिससे अपीलार्थी का उक्त भूमि में कोई हित नहीं बनता है। अपीलार्थी द्वारा परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 24-04-1991 के विरूद्ध अपील दिनांक 03-12-2001 को 10 वर्ष से भी अधिक समय बाद प्रस्तुत की गई है तथा अपीलार्थी को निर्णय की जानकारी निर्णय दिनांक से थी। हरसुख द्वारा सुखमंद सिंह व हरदेव सिंह

को वाद में पक्षकार बना रखा था व अपीलार्थी ने भी वाद में बेगराज बनाम ख्यालीराम में उन्हें पक्षकार बना रखा था। विवादित भूमि हरसुखराम व उसके पिता व उसके वारिसों के लगातार कब्जे काश्त में है जिससे अपीलांट का विवादित आराजीयात में कोई हित निहित नहीं है नाही अपीलांट आराजी जैर पर अपने अधिकारों को दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से साबित ही कर पाए है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही अपीलांट की अपील को आराजी जैर पर हितबद्धता के बिन्दु पर विधिसम्मत तरीके से खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक/तथ्यपरक त्रुटि नहीं होने से हस्तगत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रिकॉर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या–8 के पति एवं 9 ता 13 के पिता हरसुख पुत्र मंगतूराम द्वारा वाके ग्राम मेघाना तहसील भादरा स्थित आराजी साबिक खसरा नंबर 193 रकबा 39 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 322, 323 व 324 भूमि के बाबत् सहायक कलक्टर, नोहर (मुख्यालय) भादरा के न्यायालय में एक राजस्व वाद प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि आराजी जैर वादी के पिता मंगतुराम पुत्र चेतन जाति खाती की पैदाकरदा भूमि रही है, जो बाहमी बंटवारें में वादी के अकेले के हिस्से में आई है। जिस पर वादी निरन्तर काबिज काश्त रहा है। दौराने पैमाईश राजस्व अमले से मिलकर उपरोक्त भूमि में से हाल खसरा नम्बर 322 रकबा 3 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एवं हाल खसरा नम्बर 323 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 ने अपने नाम से दर्ज करवा ली गई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का नाम उपरोक्त आराजी से कलमजन करते हुए वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार वादपत्र/जवाबदावा एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में तनकीयात् कायम करने के उपरान्त वादी का वादपत्र डिक्री कर दिया गया।

8– अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि का वह सद्भावी केता है, जिसे बिना पक्षकार बनाये विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए डिक्री करवा लिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे। प्रथम अपीलीय

न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को आराजी जैर पर अपीलार्थी की हितबद्धता नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में मण्डल स्तर पर द्वितीय अपील के माध्यम से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की वैधानिकता के प्रश्न का निर्धारण विधि के परिप्रेक्ष्य में एवं अपीलार्थी की वादग्रस्त भूमि पर हितबद्धता के संबंध में किया जाना अपेक्षित है।

9– प्रकरण में जहाँ तक अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की वैधानिकता एवं अपीलार्थी की वादग्रस्त भूमि पर हितबद्धता का प्रश्न है, इस संबंध में हमने अपीलीय न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों यथा बैयनामा दिनांक 20–07–1978 एवं अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 116/1999 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–10–2000 का अवलोकन किया। उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि उक्त बैयनामा अपीलार्थी बेगाराम एवं ख्यालीराम, श्योनारायण, ओमप्रकाश पिसराम मनफूल जाति जाट के पक्ष में सुखमन्द्र सिंह एवं हरदेव सिंह द्वारा दिनांक 20–07–1978 को निष्पादित करवाया गया था। उपरोक्त बैयनामें के अवलोकन से यह तथ्य प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 वादग्रस्त भूमि के सद्भावी क्रेता रहे हैं। उक्त तथ्य के संबंध में अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय के मद संख्या 5 में यह अभिलिखित किया गया है कि ''अपीलार्थी द्वारा बैयनामा दिनांक 20–07–1978 सुखमन्द्र सिंह एवं हरदेव सिंह से खरीद होना बताया है परन्तु अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तवेज जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि सुखमन्द्र सिंह व हरदेव सिंह के नाम से खसरा नम्बर 323 के अकेले के नाम 34 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज रही हो।'' इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में से 4 बीघा 02 बिस्वा भूमि जोकि उनके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की गई थी, तथा आराजीयात् सुखमन्द्र सिंह एवं हरदेव सिंह द्वारा कुल वादग्रस्त भूमि में से अपने हक व हिस्से की हद तक ही विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया था तथा अपीलार्थी द्वारा भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को उपरोक्त हिस्से अर्थात 4 बीघा 02 बिस्वा भूमि की हद तक ही अपास्त करने की मांग की गई थी।

10– प्रकरण में अन्य विचारणीय प्रश्न यह भी है कि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि की खरीद के उपरान्त एक राजस्व वाद संख्या 116/1999 अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष आराजी जैर के बाबत् खाता तकसीम का प्रस्तुत किया गया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11–10–2000 को डिक्री करते हुए सभी सह–खातेदरों के मध्य विभाजन करते हुए राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुए अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये गये थे। उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन से भी यह जाहिर है कि अपीलार्थी के वादग्रस्त

भूमि पर हित निहित रहे है। अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों/दस्तावेजी साक्ष्य यथा आराजी जैर के बाबत् निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र एवं विचारण न्यायालय द्वारा खाता तकसीम के दावे में पारित निर्णय एवं डिक्री के विपरीत जाकर अपीलार्थी की अपील को आराजी जैर से हितबद्धता नहीं रखने के आधार पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं माना जा सकता एवं अपीलार्थी का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

11– प्रकरण में अवधार्य योग्य अन्य प्रश्न, यथा अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत् है अथवा नहीं? हस्तगत् मामलें में विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का जवाब प्राप्त होने के उपरान्त सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 14 नियम 1 के उपबन्ध यथा Framing of issues के अनुसरण में दादरसी सहित कुल छः तनकीयात् कायम की गई। उपरोक्त तनकीयात् कायम करने के उपरान्त विचारण न्यायालय से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 14 नियम 2 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए निर्णय व डिक्री पारित किया जाना अपेक्षित था। आदेश 14 नियम 2 सीपीसी में यह अभिनिर्धारण किया गया है किः– Court to pronounce judgment on all the issues - (1) Notwithstanding that a case may be disposed of on a preliminary issue, the Court shall, subject to the provisions of sub-rule (2), pronounce judgment on all issues.

12– उपरोक्त विधिक प्रावधानों में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय आदेश 14 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाएगा। इस संबंध में हमने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी संख्या 1 के संबंध में केवल मात्र वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों यथा जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी का अभिलेखन करने के उपरान्त उनका विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं विश्लेषण अंकित किये बिना ही उक्त तनकीयात् को इस आधार पर वादी के पक्ष में निर्णित कर दिया गया कि ‘‘वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य के अनुसार तनकी न.1 वादी के पक्ष में सिद्ध होती है।’’ विचारण न्यायालय के उक्त कृत्य से यह स्पष्ट जाहिर है कि उनके द्वारा उपरोक्त तनकी का निर्धारण सकारण एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया गया है। इसी प्रकार अन्य तनकीयात् संख्या 2 ता 5 का निर्धारण भी सरसरी तौर पर करते हुए वादपत्र को डिक्री किया जाना परिलक्षित होता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा भी निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए प्रकियात्मक कानून (Procedural Law) की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–04–1991 को भी पुष्टि योग्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से युक्तियुक्त/तर्कसंगत एवं न्यायसंगत आदेश की श्रेणी में नहीं होने से अपीलार्थी की हस्तगत् द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

13– परिणामतः अपीलार्थी की हस्तगत् द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपील संख्या 85/2001 बउनवानी बेगाराम बनाम ख्यालीराम आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–05–2003 एवं अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, नोहर द्वारा वाद संख्या 154/1982 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–04–1991 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, नोहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को प्रकरण में पक्षकार स्थापित करते हुए उभय पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करने के उपरान्त वादप्रकिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। उभय पक्षों को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29–08–2025 को उपस्थित होवें।

14– निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील व तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य